	88. (1) यदि प्रशासक के विचार में द्वीप परिषद :– (क) इसकी शक्तियों को पार करना है अथवा दुरूपयोग करना है; अथवा (ख) इस विनियम अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि द्वारा अथवा के तहत इस पर लागू कर्त्तव्यों के निष्पादन में जानबूझ कर तथा लगातार गलतियाँ करते हैं अथवा निष्पादन में असक्षम होते हैं; अथवा (ग) इस विनियम के तहत देने योग्य करों को देने में असफल होते हैं; अथवा (घ) धारा 86 की उप धारा (2) के अंतर्गत उपायुक्त सरकारी राजपत्र में आदेश जारी कर द्वीप परिषद को समाप्त कर सकता है और धारा 60 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार द्वीप परिषद पुर्नगठित करने का निदेश दिया जाएगा । (2) स्पष्टीकरण देने के लिए उचित अवसर दिए बगैर द्वीप परिषद उप–धारा (1) के तहत कोई आदेश पारित नहीं कर सकता । (3) यदि उप धारा (1) के तहत यदि द्वीप परिषद विसर्जित हो जाता है तो निम्नलिखित परिणाम अनुवर्ती होगा :– (क) द्वीप परिषद के सभी सदस्यों की आदेश की निर्धारित तिथि से सदस्यता समाप्त हो जाएगी । (ख) द्वीप परिषद की समाप्ति अवधि के दौरान द्वीप परिषद के सभी शक्तियों और कर्त्तव्यों का निर्वहन और निष्पादन इसकी ओर से नियुक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा; (ग) द्वीप परिषद की समितियाँ समाप्त मानी जाएँगी और उस तिथि से समिति के सभी सदस्यों को कार्यालय खाली करना होगा।	द्वीप परिषद का विघटन
	89. यदि दो या दो से अधिक द्वीप परिषदों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे इस संघ राज्य क्षेत्र के सचिव जनजातीय कल्याण के पास भेजना होगा और इस मामले में उनका निर्णय ही अंतिम माना जाएगा ।	
	90. प्रशासक अपनी संतुष्टि के लिए किसी पारित आदेश की वैधता या उपयुक्तता के लिए किसी अधिकारी या द्वीप परिषद के कार्यवाही अभिलेखों की मांग कर सकता है और जाँच कर सकता है तथा वह जैसा ठीक समझे आदेश में संशोधन या परिवर्तन कर सकता है ।	प्रशासक कार्यवाही अभिलेखों की मांग कर सकता है ।